2920/16

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु. 1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 029929






लीज–डीड

वीरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी पुत्र स्व0 श्री रामयज्ञ द्विवेदी निवासी ग्राम करौदी कला, पो0 शुक्लपुर, जिला सुलतानपुर–

प्रथम पक्षगण/भू स्वामी

श्री शुभम एजुकेशनल ट्रस्ट श्री आर पी इण्टरनेशनल स्कूल सी.बी.एस.ई.
प्रबन्धक/सचिव श्री वीरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी ग्राम खजुरन, पो0 ढेमा, बदलापुर, जौनपुर–

द्वितीय पक्ष/लीज ग्रहीता।

विदित हो कि जायदाद तफसील जैल हम प्रथम पक्ष की भूमिधरी जायदाद है। जिस पर उसके द्वारा निर्मित कमरे बने हुए है, जिसका हम प्रथम पक्षगण स्वामी मालिक काबिज दखील हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उसका सहखातेदार या स्वामी ही है न तो किसी अन्य व्यक्ति से जायदाद तफसील जैल से किसी किस्म का वास्ता ख्वाह सरोकार नहीं है। इस तौर पर हम प्रथम पक्षगण

2



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AV 029930

को उसका मनमुताबिक उपयोग व उभयोग करने तथा उसका हर प्रकार से अन्तरण करने का कानूनी अधिकार हासिल है। द्वितीय पक्ष श्री शुभम एजुकेशनल टस्ट श्री आर पी एजुकेशनल स्कूल सीबीएसई ग्राम. खजुरन, पो0 ढेमा, बदलापुर, जौनपुर संचालन करता है, उसे अपने विद्यालय के सचालन हेतु प्रथम पक्षगण की जायदाद तफसील जैल की आवश्यकता है इसलिए उसने प्रथम पख के समक्ष जायदाद श्री शुभम एजुकेशनल टस्ट श्री आर पी एजुकेशनल स्कूल सीबीएसई ग्राम खजुरन, पो0 ढेमा, बदलापुर, जौनपुर के संचालन के लिए 30 वर्ष के मियाद पर 18,000/–00 रूपये वार्षिक किराये/लीज पर लेने का प्रस्ताव रखा। जिसे प्रथम पक्षगण ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। भविष्य में आपस में कोई नाइत्तफाकी या विवाद न पैदा हो सके। इस लेहाज से लीज डीड तहरीर कर उसे पंजीकृत कराने का निर्णय उभय पक्षों ने लिया है। इसलिए बखुशी व रजामंदी, बदुरूस्त होश हवास बिला जब्र व इकराह बसेहतजात व सेवात दस्तावेज हाजा बतौर लीज–डीड तहरीर कर हसब तफसील जैल का पाबंद होते हैं–

1. यह कि प्रथम पक्षगण जायदाद तफसील जैल के असल मालिक है व रहेगें। बाद वफात प्रथम पक्षगण उसके असल मालिक उनके विधिक वारिसान होगें।

2. यह कि प्रथम पक्षगण ने जायदाद तफसील जैल का कब्जा दखल आज की तारीख से द्वितीय पक्ष को हस्तगत कर दिया है तथा द्वितीय पक्ष को यह अधिकार हासिल होगा कि

2



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AV 029931

वे उस पर बतौर किरायेदार काबिज दखील रहकर उसका उपयोग व उपभोग विद्यालय संचालन हेतु करेगें।

3. यह कि जायदाद तफसील जैल के रख रखाव मरम्मत रंगायी पोताई विद्युत व जलकर व्यय की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

4. यह कि जायदाद तफसील जैल की किरायेदारी आज की तारीख से प्रारम्भ हो गयी है और द्वितीय पक्ष को यह लाजिमी होगा कि वह प्रत्येक वर्ष की प्रथम वर्ष की प्रथम माह की 10 तारीख तक किराये की अदायगी नियमित रूप से प्रथम पक्षगण को करता रहेगा। इस वर्ष का किराया रू0 18,000/– वार्षिक द्वितीय पक्ष ने आज ही पक्षगण को अदा कर दिया है।

5. यह कि द्वितीय पक्ष जायदाद जैल का उपयोग सिर्फ विद्यालय संचालन हेतु करेगा, उसका उपयोग किसी दूसरे मद में नहीं करेगा न तो उसमे कोई शिकमी किरायेदार आबाद करेगा तथा द्वितीय पक्ष विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार भविष्य मे और कमरों का निर्माण प्रथम पक्षगण की सहमति से करा सकेगा।

6. यह कि किरायेदार–लीज की मियाद 30 वर्ष की होगी। बाद बीतने मियाद यह लीज–डीड स्वतः समाप्त समझी जायेगी और आपसी सहमति की दशा में पुनः अग्रिम तयशुदा अवधि के लिए दोबारा निर्धारित शर्तो व तय मियाद के लिए तहरीर की जा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AV 029932

सकेगी। ऐसा न होने की दशा में लीज की मियाद 30 वर्ष समाप्त होते ही द्वितीय पक्ष जायदाद तफसील जैल का कब्जा जिस स्थिति में प्रथम पक्षगण से ले रहा है, उसी दशा में उसका कब्जा दखल उन्हे वापस कर देगा।

7. यह कि फरीकैन मजमून दस्तावेज हाजा खूब पढ व पढवाकर सुन व सोच व समझकर इसकी तमाम शर्तो को कबूल व मंजूर करते हुए यह चंद कमला लाकलामी बतरीक किरायेदारी लीज–डीड तहरीर कर दिये ताकि सनद रहे तथा वक्त जरूरत पर काम आवे।

8. यह कि बमुताबिक कानून लीज–डीड जो 30 वर्षो के लिए तहरीर किया जा रहा है, वार्षिक किराये का छः गुना मु0 1,08,000/– रूपया होता है, जिस पर 4 प्रतिशत की दर से मुनासिब स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

तफसील–जायदाद

वाका मौजा खंजुरन, ढेमा, बदलापुर, जौनपुर स्थित आराजियात मौके पर दोना मौजे सरहद पर स्थित है। भूतल पर कुल 18 कमरे निर्मित है तथा प्राथम तल पर 18 कमरे निर्माणाधीन है मय हस्बचौहद्दी जैल–

पूरब–खेत है बलिकरन आदि, पश्चिम– पीली नदी।

भारत सरकार
Government of India
KESHRI PRASAD
जन्म तिथि / DOB 15/07/1966
पुरुष / Male

8697 4984 2992

आधार - आम आदमी का अधिकार

9452839853

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
PRAMOD KUMAR SHUKLA
VISHWANATH SHUKLA
04/03/1976
Permanent Account Number
DRCPS6368F

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

8576065808

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
VIRENDRAPRASAD R DWIVEDI
RAMYAGYA DWIVEDI
21/11/1962
Permanent Account Number
AABPD9065F
Signature

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

9004944717

Unique Identification Authority of India
Address
S/O Ananthy Ram, MISHRAULI
SIGANRA MAU, Misrauli,
Jaunpur, Uttar
Pradesh, 222175

8697 4984 2992

न्यायालय उपजिलाधिकारी बदलापुर, जौनपुर।

वाद संख्या धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006
सा0मा0–खजुरन, परगना–गड़वारा,
तहसील–बदलापुर, जिला–जौनपुर
वीरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी बनाम ग्राम पंचायत

आदेश

प्रस्तुतवाद वीरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी पुत्र रामयज्ञ द्विवेदी सा0मा0 खजुरन, परगना गड़वारा, तहसील बदलापुर, जिला जौनपुर द्वारा ग्राम खजुरन, परगना गड़वारा की आराजी नं0 17/2/0.130हे0, 18/2/0.081हे0, 23/2/0.232हे0, 16/0.393हे0, 19/0.061हे0, 20/0.287हे0, 22/0.522हे0 के बावत् ग्राम पंचायत जरिये ग्राम प्रधान/चेयरमैन भू0प्र0स0 ग्राम खजुरन व उ0प्र0 सरकार जरिये जिलाधिकारी जौनपुर को प्रतिवादी बनाते हुये धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 अन्तर्गत इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया है कि आराजी निजाई के मालिक काबिज भूमिधर हम वादी है। आराजी निजाई में प्रार्थी का हिस्सा 1.706हे0 है। जिसमें 0.822हे0 पर प्रार्थी का विद्यालय भवन बन रहा है। लगभग 80 प्रतिशत विद्यालय भवन बनकर तैयार है। अन्त में अनुरोध किया है कि आराजी निजाई में से 0.822हे0 अकृषिक घोषित किया जाय। पत्रावली जाँचकर रिपोर्ट हेतु तहसीलदार बदलापुर को भेजी गयी।

तहसीलदार बदलापुर द्वारा जाँच रिपोर्ट दिनांक 04.10.2016 को इस आशय का प्रेषित किया है कि ग्राम खजुरन, परगना गड़वारा, तहसील बदलापुर जिला जौनपुर में स्थित आराजी नं0 16/0.393हे0, 19/0.061हे0, 20/0.287हे0, 18/2/0.081हे0 भूमि पर विद्यालय भवन आदि बना है। आराजी नम्बरान को धारा 80 के तहत् अकृषिक घोषित करने की संस्तुति की गयी है। वादी द्वारा भूमि की मालियत का 1 प्रतिशत यानी 20500 रूपये जमा किया गया है। जिसकी चालान की प्रति पत्रावली में संलग्न है।

मैनें वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बदलापुर की रिपोर्ट से सहमत होते हुये ग्राम खजुरन, परगना गड़वारा, तहसील बदलापुर जिला जौनपुर में स्थित आराजी नं0 16/0.393हे0, 19/0.061हे0, 20/0.287हे0, 18/2/0.081हे0 को अकृषिक घोषित करते हुये लगान से मुक्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक बदलापुर को भेजी जाय। परवाना जारी हो वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(नमित माहेश्वरी)
उपजिलाधिकारी
बदलापुर जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

27 SEP 2016

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

Z 125733

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उत्तर–जमीन राजीव द्विवेदी

दक्षिण– खेत दुर्गा प्रसाद पाल

तहरीर दिनांक–07.10.2016

साक्षी– 1. प्रमोद कुमार शुक्ला

ग्राम खजुरन, परगना गडवारा,

तहसील बदलापुर, जौनपुर।

साक्षी– 2. केशरी प्रसाद पुत्र श्री अनन्त राम

निवासी– मि. श्रेणी पो० चौधु तह० बदलापुर

जिला– जौनपुर

मशविदाकर्ता– राजेन्द्र प्रसाद तिवारी एडवोकेट

तहसील बदलापुर, जौनपुर।

टाईपकर्ता–हरिशंकर तहसील बदलापुर, जौनपुर।